कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–प्रारं/साप्र/सी/जि स्तरीयभामा/2773/2019/ दिनांक : 08/05/2019

01. समस्त संयुक्त निदेशक,संभाग कार्यालय, स्कूल शिक्षा
02. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
03. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,मुख्यालय,प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा
04. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,ब्लॉक कार्यालय

विषयः–जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2019 के आयोजन के संबध मे दिशा निर्देश।
प्रसंगः–राज्य सरकार का पत्रांक प.17(11) शिक्षा–6/2010/पार्ट दिनांक 13.03.18 के कम में।

राजकीय विद्यालयों/राजकीय शिक्षण संस्थाओं प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत शिक्षा/कालेज शिक्षा के अधीन राजकीय विधालयों मे दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग किए जाने पर शिक्षा विभाग, शासन से प्राप्त दिशा–निर्देशों की पालना में दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानो का विभाग द्वारा 28 जून, 2019 को जिला स्तर पर सम्मानित करने हेतु भमाशाह सम्मान समारोह जिला मुख्यालय पर आयोजित किया जायेगा।

जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2019 के संबध में शासन के पत्र दिनांक 13.03.2018 से प्राप्त निर्देशो के अनुसार नवीन दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते है :–

01. जिला स्तर पर आयोजित किये जाने वाले सम्मान समारोह हेतु सम्पूर्ण कार्य हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारम्भिक शिक्षा नोडल अधिकारी होगें।
02. जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह मे राजकीय विद्यालयों में दानदाता/ भामाशाह/औद्योगिक संस्थानों के सहयोग से विकास कार्य करने वाले ऐसे दानदाताओं को जिन्होने दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक इस हेतु 1 लाख रूपये से 15 लाख रूपये से कम का योगदान किया हैं, को **"शिक्षा श्री"** सम्मान से सम्मानित किया जाना है तथा राजकीय विद्यालयों में सहयोग हेतु एक या एक से अधिक भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्ति जिन्होने 5 लाख एवं इससे अधिक तथा 30 लाख से कम राशि के आर्थिक सहयोग हेतु भामाशाहो को प्रेरित किया है, को जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में ''शाला प्रेरक'' की उपाधि से सम्मानित किया जावेगा। वर्ष 2018 में जिला स्तर पर आयोजित सम्मान समारोह में 01.01.17 से 31.12.17 तक सहयोग करने वाले दानदाताओं को 26 जनवरी, 2018 को सम्मानित किया चुका है, अतः नवीन निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय सम्मान समारोह हेतु ऐसे दानदाताओं को भी सम्मिलित किया जायेगा जिन्होने 01.01.2018 से 31.03.2018 तक योगदान किया है।
03. मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना के अन्तर्गत शासन के पत्र दिनांक 13.03.2018 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार प्रावधानों के अनुरूप दिये गये योगदान भी इस श्रेणी हेतु पात्र होगें।

04. ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के माध्यम से सहयोग प्रदान करने के संबध में राज्य सरकार के आदेश कमांक प.4(7)शिक्षा–/2014 दिनांक 11.01.17 के द्वारा राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु Corporate Socioal Responsibility के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं दानदाताओं/जनसमुदाय से सहयोग प्राप्त करने हेतु ज्ञान पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना की गई है (नए दिशा निर्देश) इस योजनान्तर्गत भामाशाह/दानदाताओं/औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्यालयों में कराये गये विकास कार्यों के लिए योगदान करने एवं निर्धारित पात्रता पूरी करने पर भी भामाशाह सम्मान समारोह हेतु पात्र होगें। परन्तु उक्त पत्र दिनांक 11.01.17 के अनुसार प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा में ज्ञान संकल्प पोर्टल व मुख्यमंत्री विद्या दान कोष के माध्यम से सहयोग, प्रकरण में दानदाताओं के भामाशाह पुरस्कार हेतु प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी,मुख्यालय,माध्यमिक शिक्षा समेकित कर जिला शिक्षा अधिकारी,(मुख्यालय),प्रा.शि. को भिजवायेगें।

05. 1 लाख एवं इससे अधिक तथा 15 लाख से कम की धनराशि का निर्धारित अवधि मे राजकीय विद्यालयों/संस्थानों में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने वाले दानदाताओं के प्रस्तावों को ही सम्मिलित किये जाने है। यदि दानदाता ने सम्पूर्ण भवन का निर्माण करवाया है या केवल भूमि दान में दी है तो उनके द्वारा निर्मित भवन/भूमि का विधिवत् दानपत्र विभाग के पक्ष में लिखा जाना आवश्यक है। यदि विधिवत दानपत्र विभाग के पक्ष में निष्पादित नहीं हुआ है तो ऐसे प्रस्ताव अनुशंषित कर नहीं भिजवाये जावें।

06. यदि किसी दानदाता ने भवन/भूमि दान में दी है तो दान मे दिए गए भवन/भूमि के दानपत्र की प्रति के साथ उक्त भवन/भूमि की सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमानित लागत विवरण की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें।

07. यदि किसी दानदाता ने स्थाई साजो–सामान के रूप में सहयोग दिया हो तो उसके द्वारा उपलब्ध करवाये गये साज सामान की संबंधित विद्यालय/संस्था के स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर यह प्रमाण पत्र देना होगा कि संबंधित दानदाता द्वारा इस योजना में दिये गये साजो–सामान का स्टॉक रजिस्टर में विधिवत् इन्द्राज कर लिया गया है।

08. यदि किसी दानदाता ने भवन निर्माण, अतिरिक्त निर्माण/चारदीवारी/मरम्मत/ के रूप में सहयोग दिया है तो उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग राशि की पुष्टि से संबंधित विवरण सक्षम अधिकारी (विभाग में कार्यरत कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता) के अनुमानित लागत विवरण पत्र/सहयोग राशि के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में विवरण संलग्न करें। इसी प्रकार विद्यार्थियों की छात्रवृति/पुस्तकालय हेतु सहयोग राशि के संबंध में भी निर्धारित प्रपत्र में विवरण संलग्न करें।

09. भामाशाह से तात्पर्य दानपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अथवा मूल सहयोग देने वाले दानदाता से ही है। यदि किसी दानदाता की मृत्यु हो जाती है तो उनको यह सम्मान (मरणोपरान्त) उसी दानदाता के नाम से ही दिया जावेगा। ऐसे दानदाताओं के प्रस्ताव में संक्षिप्त जीवन परिचय भिजवाते समय ध्यान रखा जावे कि फोटोग्राफ एवं परिचय मूल दानदाता के ही भेजे जावे। इनका सम्मान उनके उत्तराधिकारी प्राप्त करेंगे जिसके लिये संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी उन्हें अधिकृत कर उनके नवीनतम फोटो सहित अधिकृत पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ लगावें एवं भेजे जाने वाले प्रस्ताव में भी इसका स्पष्ट उल्लेख करें।

10. यदि दानदाता कोई ट्रस्ट, संस्था या कंपनी है तो इन्हें दिए जाने वाला प्रशस्ति पत्र ट्रस्ट, संस्था या कंपनी के नाम से ही दिया जाएगा।

11. जन सहभागी विद्यालय मरम्मत योजना के अन्तर्गत 1 लाख से 15 लाख तक राशि का विद्यालय मरम्मत कार्य/अतिरिक्त निर्माण कार्य आदि में योगदान देने वाले दानदाता इस सम्मान हेतु पात्र होंगे।

12. भामाशाहों के प्रस्तावों के साथ संबंधित दानदाताओं द्वारा आवेदन पत्र में उनके द्वारा उल्लेखित सहयोग राशि की पुष्टि से संबंधित दस्तावेज/सहयोग विवरण हेतु निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) आवश्यक रूप से भिजवायें। यदि सहयोग राशि की पुष्टि से संबंधित कोई दस्तावेज/सहयोग विवरण हेतु निर्धारित प्रपत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं होगा तो ऐसे प्रस्ताव अस्वीकृत किये जा सकते है।

13. समस्त जिलों में जिला स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा (मुख्यालय) नोडल अधिकारी होगें।
14. प्राशासनिक सुधार (अनु.–3)विभाग के आदेश क्रमांक प.6(18)प्र.सु./अनु.3/2016 दि.30.03.16 द्वारा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्कूल सलाहकार समिति (परिशिष्ट–3) कार्यक्रम हेतु आयोजन एवं चयन समिति के रूप में कार्य करेगी।
15. जिला स्तरीय सम्मान समारोह में जिले के जनप्रतिनिधिगण को आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जायें।
16. पाच लॉख एवं अधिक तथा तीस लाख रूपये से कम की राशि का सहयोग करने वाले भामाशाह/दानदाता/औद्यौगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को शाला प्रेरक के रूप में जिला स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जावेगा।
17. भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों द्वारा संबधित शाला प्रधान (प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य) को उनके द्वारा प्रदत्त योगदान हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति का विवरण लिखित में संबधित संस्था प्रधान को उपलब्ध करवाये जाने पर संस्था प्रधान द्वारा तथ्य की पुष्टि स्वंय के स्तर पर किये जाने तथा सही पाये जाने पर सम्बंधित को शाला प्रेरक हेतु सम्मानित किये जाने हेतु निर्धारित आवेदन–पत्र में सम्मानित किए जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी ,मुख्यालय, प्रारम्भिक शिक्षा को मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आवेदन मय अभिशंषा भेजेगें। प्रेरक के आवेदन पर उसी स्थिति में विचार किया जायेगा जब दानदाता द्वारा भामाशाह सम्मान हेतु प्रस्तुत आवेदन में प्रेरक के नाम का उल्लेख होगा। एक से अधिक प्रेरक होने की स्थिति में दानदाता द्वरा जिस प्रेरक को सम्मानित किया जाना है,उसकी स्पष्ट अनुशंषा करने पर चयन हेतु विचार किया जायेगा। ऐसे प्रेरक जिनके भामाशाह राज्य स्तर पर चयन के पात्र है, तथा प्रेरक जिला स्तर पर सम्मान के पात्र है,के संबध में उनके भामाशाह राज्य स्तर पर सम्मान हेतु पात्र पाये जाने पर ही सम्मानित किये जाने पर विचार किया जायेगा।
18. जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले प्रेरकों के आवेदन पत्र संबधित संस्था प्रधान प्रस्तावो को जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को भिजवायेगें तथा जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा परीक्षण कर चयन हेतु जिला स्कूल सलाहकार समिति (चयन समिति) को भेजगें।
19. राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं/भामाशाहो/औद्योगिक संस्थानों द्वारा किये गये प्रोत्साहन हेतु शासन द्वारा जारी निर्देश पत्र दिनांक 13.03.18 के साथ संलग्न परिशिष्ट–2 पुनः संलग्न किया जा रहा है। अतः परिशिष्ट–2 के अनुसार भामाशाहो के प्रोत्साहन हेतु किये जाने वाले कार्य हेतु जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय,प्रारम्भिक/माध्यमिक स्वय के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही करें एवं संस्था प्रधानों को भी इस संबध में निर्देश जारी करे।
20. जिन जिलों में यह कार्यक्रम होगा, उन जिलों में सम्मानित होने वाले दानदाताओं की संख्या के आधार पर संबधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा अपने स्तर पर उपलब्ध बजट प्रावधान/संसाधन से इस समारोह का आयोजन करेगें, एवं जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा भी इसमें सहयोग प्रदान करेगें। संभाग मुख्यालय पर स्थित जिलों मे आयोजित होने वाले समारोह में संयुक्त निदेशक भी इस समारोह में उपस्थित रहेगें।
21. यदि कोई दानदाता जिसने निर्धारित मानदंड के अनुसार सहयोग किया है एवं सम्मान से वंचित रहता है तो इसका उत्तरदायित्व संबधित जिला शिक्षा अधिकारी को होगा।
22. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा जो जिला स्तर पर आयोजित होने सम्मान समारोह के नोडल अधिकारी भी है, पात्र भामाशाह एवं प्रेरको के चयन की कार्यवाही दिनांक 15.06. 2019 से पूर्व करवाना सुनिश्चित करेगें एवं चयनित भामाशाह एवं प्रेरको की सूची निर्धारित प्रपत्र मे दिनांक 18.06.2019 तक सम्बंधित संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा को उपलब्ध करवायेगें।

23. जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समरोह वर्ष 2019 हेतु कॉलेज शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा के प्रस्ताव के संबध में कॉलेज शिक्षा के जिला स्तरीय प्रस्ताव हेतु जिले के राजकीय महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य तथा संस्कृत शिक्षा के प्रस्ताव हेतु सम्भागीय स्तर के अधिकारी को शासन द्वारा अधिकृत किया गया है।

24. जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले भामाशाहो के लिए दिया जाने वाला प्रमाण पत्रः—

(मोहर अशोक चिन्ह)
सत्यमेव जयन्ते
राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
—ःप्रशस्ति पत्रः—

श्री ....

.... को उनके द्वारा ....(विद्यालय का नाम) के लिए प्रदत्त सहयोग के लिये अभिनन्दन स्वरुप " शिक्षा श्री " की उपाधि से विभूषित किया जाता है।

ह. | ह.
जि.शि.मुख्यालय,प्रा.शि. | मुख्य जिला शिक्षाअधिकारी,स्कूल शिक्षा
दिनांक ,जून,2019

25. जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले प्रेरक के लिए दिया जाने वाला प्रमाण पत्र:—

(मोहर अशोक चिन्ह)
सत्यमेव जयन्ते
राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
—ःप्रशस्ति पत्रः—

श्री ....

.... को उनके द्वारा ....(विद्यालय का नाम) के भामाशाह ....(भामाशाह का नाम)......................... द्वारा किये गये सहयोग हेतु प्रेरित करने पर " शाला प्रेरक " सम्मान से सम्मानित किया जाता है।

ह. | ह.
जि.शि.मुख्यालय,प्रा.शि. | मुख्य जिला शिक्षाअधिकारी,स्कूल शिक्षा
दिनांक ,जून,2019

26. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा अपने संभाग के जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले भामाशाहों एवं प्रेरको की सूचना निम्नांकित प्रारूप में 26, जून, 2019 तक निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को संकलित कर भिजवायेगे:–

जिला स्तरीय भामाशाह योजना के तहत 28,जून,2019 को सम्मान हेतु चयनित दानदाताओं/प्रेरको की सूची–

क.स.	राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित होने वाले दानदाताओं को नाम व पूर्ण पता	विद्यालय का नाम जिसके लिये सहयोग किया गया	सहयोग की अवधि 1.01.18 से 31.3.19	सहयोग की राशि	प्रदत्त सहयोग का विवरण	प्रेरक का नाम
1	2	3	4	5	6	7

संलग्न:– भामाशाह एवं प्रेरकों के प्रस्ताव के
आवेदन पत्र का निर्धारित प्रपत्र

निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा)विभाग
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि:–

1. शासन सचिव,स्कूल शिक्षा एवं पंचायतराज विभाग,राजस्थान–सरकार,जयपुर।
2. आयुक्त,स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद,जयपुर।
3. आयुक्त, कालेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
4. निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थन,बीकानेर
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग,शासन सचिवालय,जयपुर।
6. उप शासन सचिव,प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग,शासन सचिवालय,जयपुर।
7. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
8. सिस्टम एनैलिस्ट,माध्यमिक शिक्षा निदेशालय,राजस्थान,बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
9. प्रभारी, विभागीय वेबसाईट,प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,बीकानेर को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा)विभाग
राजस्थान बीकानेर

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–प्रारं/साप्र/सी/भामा/2773/2019/ दिनांक : 08/05/2019

01. समस्त संयुक्त निदेशक,संभाग कार्यालय, स्कूल शिक्षा
02. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
03. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,मुख्यालय प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा
04. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक कार्यालय

विषयः–राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2019 आयोजन के संबध में दिशा निर्देश।

प्रसंगः– राज्य सरकार का पत्रांक प.17(11) शिक्षा–6/2010/ पार्ट दिनांक 13.03.18 के क्रम में।

निदेशालय,प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/कॉलेज शिक्षा/संस्कृत शिक्षा के अधीन संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों /माध्यमिक/उ0मा0 विद्यालयों/ राजकीय संस्कृत विद्यालयों/राजकीय माहाविद्यालयों में समय–समय पर दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा किये गये आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के कम में प्रतिवर्ष की भांति 28, जून, 2019 को एक भव्य/गरिमापूर्ण राज्य स्तरीय कार्यकम राज्य की राजधानी जयपुर में आयोजित कर इन्हें सम्मानित किया जायेगा।

राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के संबध में शासन से प्राप्त पत्र दिनांक 13.03.2018 के कम में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते है :–

1. शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालायों/विधालयों/शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए 15 लाख रुपये एवं इससे अधिक धनराशि का सहयोग देने वाले दानदाताओं को भामाशाह दिवस 28.06.19 को राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाना है:–

   (अ) शिक्षा भूषण – 15 लाख रुपये एवं इससे अधिक व 1 करोड रुपये तक।
   (ब) शिक्षा विभूषण – एक करोड रुपये से अधिक

   प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के राजकीय विधालयो/शिक्षण संस्थाओं के संबध में ऐसे दानदाताओं/भामाशाहो/औद्योगिक संस्थानों के लिए इस सम्मान समारोह से संबधित समस्त कार्य नोडल अधिकारी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा किया जाना है।

2. इस वर्ष आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय सम्मान सनारोह में दिनांक 01.04.18 से दिनांक 31.03.19 तक की अवधि में विभाग द्वारा निर्धारित धनराशि का सहयोग करने वाले ऐसे दानदाता जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भवन निर्माण/अतिरिक्त निर्मित शाला भवनों की मरम्मत अथवा स्थाई साज सामान के रुप में 15 लाख रुपये एवं इससे अधिक धनराशि का सहयोग उक्त निर्धारित अवधि में किया है, सम्मान हेतु पात्र होगें।

3. भामाशाहो/दानदाताओं/औद्योगिक संस्थानों को इस कार्य की प्रेरणा/प्रेरित करने वाले प्रेरकों के लिए दिनांक 01.04.18 से दिनांक 31.03.19 तक की अवधि में 30 लाख रुपये एवं इससे अधिक धनराशि का सहयोग करने वाले दानदाताओं को सहयोग हेतु प्रेरित किये जाने एवं उनके द्वारा प्रेरित दानदाता इस वर्ष 2019 में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह मे सम्मान हेतु चयनित होने पर ही चयन का मानदण्ड निर्धारित किया गया है। प्रेरक के संबध में वर्णित अवधि से पहले का सहयोग मान्य नहीं होगा।

4. उपरोक्तानुसार निर्धारित मानदण्डों की श्रेणी में आने वाले दानदाताओं के प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा की अनुशंषा सहित निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 22.05.19 निर्धारित की गई है। इस तिथि के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि पूर्व की भांति राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के उस जिले से संबधित जिशिअ मुख्यालय,प्राशि द्वारा ऐसे प्रस्ताव सीधे निदेशक (प्राशि) बीकानेर को भिजवाये जाने है, तथा उस जिले के माध्यमिक शिक्षा से संबधित विधालयों/संस्थानों के प्रस्ताव संबधित जिले के जिशिअ मुख्यालय (माशि) संकलित कर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को भेजेगें। अतः समस्त संबंधित जिला शिक्षा अधिकारिय मुख्यालय,प्रारम्भिक/माध्यमिक को पाबंद किया जाता है कि अपने अधीनस्थ जिले में स्थित विधालयों/शिक्षण संस्थाओं में सहयोग करने वाले दानदाताओं के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तिथि तक विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार जॉच कर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
5. न्यूनतम 15 लाख एवं इससे अधिक धनराशि का निर्धारित अवधि मे राजकीय विद्यालयों में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने वाले दानदाताओं के ही प्रस्ताव अनुशंषित कर भिजवाये। यदि दानदाता ने सम्पूर्ण भवन का निर्माण करवाया है या केवल भूमि दान मे दी है तो उनके द्वारा निर्मित भवन/भूमि का विधिवत् दानपत्र विभाग के पक्ष मे लिखा जाना आवश्यक है। यदि विधिवत दानपत्र विभाग के पक्ष में निष्पादित नहीं हुआ है तो ऐसे प्रस्ताव अनुशंषित कर नहीं भिजवाये जावें।
6. यदि किसी दानदाता ने भवन/भूमि दान में दी है तो दान में दिए गए भवन/भूमि के दानपत्र की प्रति के साथ उक्त भवन/भूमि की सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमानित लागत विवरण की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें।
7. यदि किसी दानदाता ने स्थाई साज सामान के रूप में सहयोग दिया हो तो उसके द्वारा उपलब्ध करवाये गये साज सामान की संबधित विधालय/संस्था के स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर यह प्रमाण पत्र देना होगा की संबंधित दानदाता द्वारा इस योजना में दिये गये साज सामान का स्टॉक रजिस्टर मे विधिवत् इन्द्राज कर लिया गया है।
8. यदि किसी दानदाता ने भवन निर्माण, अतिरिक्त निर्माण/चारदीवारी/मरम्मत/ के रूप में सहयोग दिया है तो उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग राशि की पुष्टि से संबंधित विवरण सक्षम अधिकारी (विभाग में कार्यरत कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता) के अनुमानित लागत विवरण पत्र/सहयोग राशि के संबध में निर्धारित प्रपत्र में विवरण संलग्न करें। इसी प्रकार विधार्थियों की छात्रवृति/पुस्तकालय हेतु सहयोग राशि के संबंध में भी निर्धारित प्रपत्र में विवरण संलग्न संलग्न करें।
9. भामाशाह से तात्पर्य दानपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अथवा मूल सहयोग देने वाले दानदाता से ही है। यदि किसी दानदाता की मृत्यु हो जाती है तो उनको यह सम्मान (मरणोपरान्त) उसी दानदाता के नाम से ही दिया जावेगा। ऐसे दानदाताओं के प्रस्ताव में संक्षिप्त जीवन परिचय भिजवाते समय ध्यान रखा जावे कि फोटोग्राफ एवं परिचय ऐसे मूल दानदाता के ही भेजे जावे। इनका सम्मान उनके उत्तराधिकारी प्राप्त करेंगे जिसके लिये संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी उन्हें अधिकृत कर उनके नवीनतम फोटो सहित अधिकृत पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ लगावें एवं भेजे जाने वाले प्रस्ताव में भी इसका स्पष्ट उल्लेख करें।
10. यदि दानदाता कोई ट्रस्ट, संस्था या कंपनी है तो इन्हें दिए जाने वाला प्रशस्ति पत्र ट्रस्ट, संस्था या कंपनी के नाम से ही दिया जाएगा।

11. जन सहभागी विधालय मरम्मत योजना के अन्तर्गत 15 लाख रूपये एवं इससे अधिक राशि का विधालय मरम्मत कार्य/अतिरिक्त निर्माण कार्य आदि में योगदान देने वाले दानदाता इस सम्मान हेतु पात्र होंगे।

12. भामाशाहों के प्रस्तावों के साथ संबंधित दानदाताओं द्वारा आवेदन पत्र में उनके द्वारा उल्लेखित सहयोग राशि की पुष्टि से संबंधित दस्तावेज/सहयोग विवरण हेतु निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) आवश्यक रूप से संलग्न करावें। यदि सहयोग राशि की पुष्टि से संबंधित कोई दस्तावेज/सहयोग विवरण हेतु निर्धारित प्रपत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं होगा तो ऐसे प्रस्ताव अस्वीकृत किये जा सकते हैं।

13. वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल,18 से 31 मार्च,19 तक) की अवधि में विभाग द्वारा निर्धारित की गई अवधि में तथा निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप प्रेरकों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही भेजे। दानदाता द्वारा भामाशाह सम्मान हेतु किये गये आवेदन पत्र में संबधित प्रेरक का नाम प्रेरित की गयी राशि का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किये जाने की स्थिति में ही आवेदन पर विचार किया जायेगा। यदि किसी प्रेरक ने एक से अधिक दानदाताओं को सहयोग हेतु प्रेरित किया है तो उनके द्वारा प्रेरित भामाशाहों के कुल सहयोग की राशि 30 लाख रूपये एवं इससे अधिक होने एवं प्रेरक द्वारा प्रेरित भामाशाह हेतु आयोजित समारोह में सम्मान के लिए चयनित होने पर ही प्रेरक को सम्मान हेतु चयनित किया जायेगा। प्रेरकों के प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी,मुख्यालय प्रारम्भिक/माध्यमिक अपनी अनुशंषा इन निर्देशों के अनुरुप भली भांति परीक्षण कर पात्र पाए जाने की स्थिति में संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित करेंगे। संबंधित संयुक्त निदेशक प्रेरकों के प्रस्ताव जो राज्य स्तर पर सम्मानित होने हेतु पात्र है को अपनी अनुशंषा सहित निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा को निर्धारित दिनांक 22.05.2019 तक भिजवायेंगे।

14. कतिपय ऐसे प्रकरण जिनमें एक से अधिक दानदाताओं ने निर्धारित राशि का सहयोग किया है तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित दानदाता से लिखित सहमति प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें कि किस भामाशाह को सम्मानित किया जाना है। विभाग द्वारा केवल एक दानदाता को ही सम्मानित किया जायेगा यदि एक से अधिक दानदाताओं ने संयुक्त रूप से सहयोग किया है तो दानदाता की लिखित सहमति प्राप्त होने पर ही उनके द्वारा सहमत दानदाता को सम्मानित किया जावेगा। प्रशस्ति पुस्तिका में सम्मानित होने वाले ही दानदाता का फोटो एवं परिचय प्रकाशित किया जावेगा।

15. यदि दानदाताओं ने एक से अधिक विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं में सहयोग किया है तो दानदाता द्वारा इनका विवरण अंकित करते हुए एक ही आवेदन पत्र भरकर भिजवाया जावे। अलग-अलग आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

16. जहां तक संभव हो सके भामाशाहों/प्रेरकों के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में कम्प्यूटराईज्ड/टाईप कराकर ही भिजवावे।

17. प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जनप्रतिनिधी को प्रेरक के रूप में सम्मान हेतु प्रस्ताव प्रेषित नहीं किए जावे।

18. भामाशाह एवं प्रेरकों को सम्मान हेतु चयन बाबत निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। यदि किसी भामाशाह एवं प्रेरक का प्रस्ताव सम्मान हेतु चयनित नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और न ही चयन नहीं किये जाने के कारण से उन्हें सूचित किया जावेगा।

19. मुख्यमंत्री जन सहभागिता विधालय विकास योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्डानुसार योगदान/सहयोग करने वाले दानदाता भी इस समारोह में सम्मानित होने के लिए पात्र होगें।

20. ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के माध्यम से सहयोग प्रदान करने के संबध में राज्य सरकार के आदेश कमांक प.4(7)शिक्षा–/2014 दिनांक 11.01.17के द्वारा राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु Corporate Socioal Responsibility के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं दानदाताओं/जनसमुदाय से सहयोग प्राप्त करने हेतु ज्ञान पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना की गई है (नए दिशा निर्देश) इस योजनान्तर्गत भामाशाह/दानदाताओं/औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्यालयों में कराये गये विकास कार्यो के लिए योगदान करने एवं निर्धारित पात्रता पूरी करने पर भामाशाह सम्मान समारोह हेतु भी पात्र होगें। परन्तु उक्त पत्र दिनांक 11.01.17 के अनुसार प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा में ज्ञान संकल्प पोर्टल व मुख्यमंत्री विद्या दान कोष के माध्यम से सहयोग, प्रकरण में दानदाताओं के भामाशाह पुरस्कार हेतु प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा समेकित कर ये प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे जावे एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक समेकित कर प्रस्ताव की सूची मय विवरण/अनुशंषा सहित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को भिजवायेगें।
21. तीस लाख रुपये एवं इससे अधिक धन राशि का सहयोग करने वाले भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में प्रेरक के रूप में सम्मानित किया जायेगा, तथा ऐसे प्रेरको के संबध में दानदाताओं द्वारा प्रस्तुत भामाशाह सम्मान समारोह हेतु किये गये आवेदन में प्रेरक के नाम की स्पष्ट अनुशंषा आवश्यक होगी।
22. दान एवं सहयोग राशि के लिए एक विद्यालय को एक ईकाई माना जायेगा।
23. भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों द्वारा संबधित शाला प्रधान (प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य) को लिखित में अवगत करवाये जाने पर कि उनके द्वारा प्रदत्त योगदान हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति का विवरण लिखित में संबधित संस्था प्रधान को उपलब्ध करवाये जाने पर संस्था प्रधान द्वारा तथ्य की पुष्टि स्वंय के स्तर पर की जायेगी तथा सही पाए जाने पर संबधित जिला शिक्षा अधिकारी,मुख्यालय,प्रारम्भिक/माध्यमिक को शाला प्रेरक हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में सम्मानित किए जाने हेतु प्रेरक के नाम की अनुशंषा की जाएगी।
24. इस परिपत्र के साथ राज्य स्तर पर सम्मानित होने वाले भामाशाहों एवं प्रेरकों के प्रस्तावों के आवेदन पत्रों का प्रारूप संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। जिसे पूर्ण भरवाकर दो फोटो सहित प्रस्ताव समेकित कर भामाशाहों के प्रस्ताव संबधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रा0शि0/मा0शि0 एवं प्रेरकों के प्रस्ताव संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को 15.05.19 तक उपलब्ध करवायेगें एवं संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा निर्धारित तिथि 22.05.2019 तक निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा को भिजवायेंगे। भामाशाह एवं प्रेरकों के प्रस्ताव के साथ पूर्ण विवरण सहित वांछनीय दस्तावेज की प्रतियां संलग्न करें। संबधित भामाशाह/प्रेरक की एक फोटो फार्म पर निर्धारित स्थान पर चिपकाकर एवं एक फोटो "यू" पिन के साथ फार्म के साथ संलग्न कर भिजवानी है। "यू" पिन के साथ भेजी जाने वाली फोटो के पीछे संबधित दानदाता/ प्रेरक का पूरा नाम पता अवश्य लिखा जावे।

25. निर्धारित तिथि के बाद प्रेषित किये जाने वाले किसी भी प्रस्ताव पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। निर्धारित आवेदन पत्र के फार्म में सभी कॉलम पूरे भरे होने आवश्यक है। आधे अधूरे अपूर्ण प्रस्ताव अस्वीकृत किये जा सकते है। यदि कोई भामाशाह या प्रेरक प्रस्ताव के अभाव में सम्मान से वंचित रहता है तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित मंडल अधिकारी का होगा। अतः हर संभव प्रयास कर निर्धारित तिथि तक प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाने हेतु पाबंद किया जाता है।

संलग्नः– भामाशाह एवं प्रेरकों के प्रस्ताव के
आवेदन पत्र का निर्धारित प्रपत्र

निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा)विभाग
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपिः–

1. शासन सचिव,स्कूल शिक्षा एवं पंचायतराज विभाग,राजस्थान–सरकार,जयपुर।
2. आयुक्त,स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद,जयपुर।
3. आयुक्त, कालेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
4. निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थन,बीकानेर
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग,शासन सचिवालय,जयपुर।
6. उप शासन सचिव,प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग,शासन सचिवालय,जयपुर।
7. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. सिस्टम एनेलिस्ट,माध्यमिक शिक्षा निदेशालय,राजस्थान,बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
9. प्रभारी, विभागीय वेबसाईट प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,बीकानेर को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा)विभाग
राजस्थान बीकानेर